न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय सं०–०५, आजमगढ़।

Bail Application–4268/2022

C.N.R No–UPAZ010084242022

१. मो० अनस पुत्र एजाज उम्र लगभग २० साल, साकिन सम्मोपुर, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।

–––––––आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार ––––– ––––– विपक्षी।

मुकदमा अपराध संख्या–**२७४/२०२२**

अं० धारा–३९५,४१२,५०४ भा०दं०सं०

थाना–कप्तानगंज, जनपद आजमगढ।

दिनांकः–१७.१०.२०२२

आवेदक/अभियुक्त **मो० अनस** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र मु०अ०सं०–**२७४/२०२२**, धारा– ३९५, ४१२, ५०४ भा०दं०सं०, थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में दिनांक २५.०९.२०२२ से मण्डल कारागार, आजमगढ़ में निरूद्ध है।

जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में **एजाज अहमद** द्वारा शपथपत्र दाखिल करते हुए जमानत में दिये गये तथ्यों को सही व सत्य बताया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि "वादी मुकदमा अजय कुमार उपाध्याय द्वारा थाने पर तहरीर दी गई कि मैं आज रात ०८.३० बजे आजमगढ़ से घर जा रहा था और कप्तानगंज दोनों ओभर ब्रीज के मध्य पहुंचा ही था कि मेरे पीछे से दो बाइक पर चार लोग आए, जिसमें एक लड़का रिवाल्वर से पीछे लगाया और दूसरा पल्सर बाइक मेरे बाइक के सामने लगा कर गाली देने लगा, दो अन्य मेरा पैसा ८,०००/–रू० और मोबाइल छीनकर गाली देते हुए फरार हो गए।"

जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुये आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी अभियुक्त को निर्दोष फंसाया गया है। प्रार्थी अभियुक्त का उपरोक्त मुकदमें के तथाकथित कथनाक से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। प्रार्थी उपरोक्त मुकदमें में नामजद अभियुक्त नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी मुकदमा चार लोगों द्वारा घटना कारित करना कहता है परन्तु पुलिस ने केवल मुकदमें में धारा ३९५ भा0 द 0 वि0 हो जाए इसलिए सत्यता से परे जाकर ७ लोगों द्वारा कारित करना बता दिया है जो अपने आप में अभियोजन कथानक को संदेहास्पद प्रतीत होता है। इस बार की गिरफ्तारी के पूर्व का प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है इस बार वाली गिरफ्तारी में तमाम मुकदमें में प्रार्थी को झूठा फँसा दिया है। प्रार्थी की गॉवी व राजनैतिक प्रतिद्वन्दिता कई प्रभावशाली लोगों के साथ चलती है जिनका पुलिस के यहाँ उठना, बैठना है तथा प्रार्थी के बिल्डिंग मैटिरियल दुकान हाजी पटेल नगर रानी की सराय में है। दुकान अच्छी चलती है। इससे व्यवसायिक प्रतिद्वन्दिता भी प्रार्थी से है इन्हीं प्रतिद्वन्दिताओं के कारण ही प्रार्थी को पुलिस ने झूठी कहानी बनाकर उपरोक्त मुकदमें में फँसा दिया है। आज तक प्रार्थी की कार्यवाही शिनाख्त नहीं करायी गयी है जिससे यह साबित हो सके कि प्रार्थी छिनैती की घटना में था कि नहीं था। प्रार्थी न तो नामजद है न ही प्रार्थी के पास से कोई बरामदगी है न ही प्रार्थी उपरोक्त मुकदमें में घटना के समय गिरफ्तार हुआ है। ऐसी परिस्थिति में प्रार्थी के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। घटना के चार दिन बाद दि0 २२.०९.२०२२ को प्रार्थी अपने बिल्डिंग मैटिरियल की दुकान बन्द करके अपनी मोटर साईकिल होण्डा सी0 बी0 आर नं०

यू0 पी0 ५४४८६३९ से मोतीगंज तगादा करने जा रहा था कि हसनपुर गाँव के पास कुछ लोग प्रार्थी को छेक करके जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठा लिये वे लोग सादे ड्रेस में थे मेरे पास करीब १८ हजार रूपया दुकान के सामानों के बिक्री के थे व मेरी एक मोबाइल रियलमी कम्पनी का मो0 नं0 ९०४४६३७२२६ को वे लोग जबरदस्ती ले लिये और और रानी की सराय में साइबर क्राइम आफिस के अन्दर ले जाकर बन्द कर बुरी तरह से मारे पीटे व फर्जी जुर्म इकबाल करने को कहते रहे व दोपहर तक उसी आफिस में टार्चर करते रहे व दि0 २४.०९.२०२२ को दोपहर बाद कप्तानगंज थाने ले गये व पैर में गोली मारकर फर्जी मुठभेड़ दिखाकर गिरफ्तारी दिखाई। अतः प्रार्थी को जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गई।

जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा गंभीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की याचना की गई है।

जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के अधिकृत विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा उठाये गये तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार अभियुक्त व तीन अन्य द्वारा साथ मिलकर वादी मुकदमा का मोबाईल तथा ८,०००/– रू० छीनने का अपराध कारित करना कहा गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध आजीवन कारवास के दण्ड से दण्डित किए जाने से संबंधित है एवं अभियुक्त द्वारा जो अपराध कारित किया गया है वह गंभीर प्रकृति का है तथा कई अन्य मामले में नामित किया गया है। इस तरह अभियुक्त को अगर जमानत पर रिहा किया जायेगा तो उसके भविष्य में भी इसी तरह के आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने की सम्भावना है, जिससे अपराध को बढावा मिलेगा। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

अतः प्रस्तुत मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति एवं आवेदक/अभियुक्त की कथित भूमिका को देखते हुए, अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **मो० अनस** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र मु०अ०सं०–**२७४/२०२२**, धारा– ३९५, ४१२, ५०४ भा०दं०सं०, थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ निरस्त किया जाता है।

दिनांक–१७.१०.२०२२

(**राम गोपाल सिंह**)
JO Code U.P.– UP6477
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय सं०–०५, आजमगढ़।